

108
2022

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प
"न्याय आपके द्वार-2016" 31/8/22

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि.
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार
की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा
136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला
की जमाबन्दी सम्बत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2वरी	430 334	कजौरी पुत्रा गदमा गामवरण गजनेतु मि गदमा, भसता चोली देवी पुत्री गदमा, सवणदेवी पालन गदमा	खिष्ठा उर्ब कजौरी पुत्री गिरधारी उर्ब गदमा गामवरण गजनेतु 110 गिरधारी उर्ब गदमा, भसता चोली पुत्री गिरधारी उर्ब गदमा, सवणदेवी पालन गिरधारी उर्ब गदमा दोष 5517 यमावत

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)

क्रमांक :- 416-417

दिनांक :- 31/8/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली। 2 मकरग 10 गिरधारी उर्ब

पीठासीन अधिकारी
उप खलोक अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)